



भारत सरकार
GOVERNMENT OF INDIA
पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय
MINISTRY OF ENVIRONMENT, FOREST AND CLIMATE CHANGE
क्षेत्रीय कार्यालय, चंडीगढ़ / Regional Office, Chandigarh



मिसिल संख्या :- 9-HRC048/2020-CHA



दिनांक: as per e-sign

सेवा में,

अतिरिक्त मुख्य सचिव (वन),
 हरियाणा सरकार,
 हरियाणा सिविल सचिवालय,
 चण्डीगढ़ -160001 (fcforest@hry.nic.in)

विषय:- Diversion of 36.23 ha (originally proposed 22.94 ha) of forest land in favour of Sub Divisional Officer, Water Services Sub Division, Irrigation and Water Resources Deptt., Dadupur for Parallel Lined Channel (PLC) project from RD 0 (Dadupur Head) to 68220 (Hamida Head), under Forest Division and District Yamunanagar, Haryana. (Online proposal FP/HR/Canal/40972/2019)-reg.

संदर्भ:- (i) State Government letter प्रशा-डी-तीन-9362/9168 dated 01.07.2020 & 31.12.2020.
 (ii) State Government Stage-I compliance letter प्रशा-डी-तीन-9362/654 dated:06.06.2022 & प्रशा-डी-तीन-9362/322 dated:30.06.2025.

महोदय,

कृपया उपर्युक्त विषय से संदर्भांकित पत्र का अवलोकन करें, जिसमें वन (संरक्षण एवं संवर्धन) अधिनियम, 1980 की धारा-2 के अधीन केन्द्रीय सरकार की अनुमति मांगी गई है। इस प्रस्ताव में इस कार्यालय के समसंख्यक पत्र दिनांक **25.02.2021** द्वारा सैद्धांतिक स्वीकृति एवं आंशिक संशोधन स्वीकृति दिनांक **09.05.2022** प्रदान की गई थी, जिसकी अनुपालना रिपोर्ट अतिरिक्त प्रधान मुख्य वन संरक्षक (FCA) व नोडल अधिकारी के पत्र क्रमांक प्रशा-डी-तीन-9362/654 दिनांक:06.06.2022 एवं प्रशा-डी-तीन-9362/322 दिनांक:30.06.2025(ऑनलाइन पोर्टल) द्वारा प्राप्त होने के उपरान्त केन्द्र सरकार द्वारा उपर्युक्त उद्देश्य हेतु **36.23** हैक्टेयर वन भूमि के उपयोग हेतु **विधिवत स्वीकृति** निम्नलिखित शर्तों को पूरी करने पर प्रदान की जाती है:-

- वन भूमि की विधिक स्थिति बदली नहीं जाएगी।
- काटे जाने वाले बाधक वृक्षों/पौधों की संख्या किसी भी रूप में प्रस्ताव में दर्शायी गई संख्या से अधिक नहीं होगी और वृक्षों की कटाई के दौरान वन्यजीवों को किसी तरह का नुकसान नहीं पहुंचाया जाएगा।
- प्रतिपूर्ति पौधारोपण, राज्य सरकार द्वारा प्रस्तावित सीए योजना के अनुसार निम्नानुसार गैर वन भूमि व वन भूमि पर प्रयोक्ता एजेंसी से प्राप्त धनराशि से किया जायेगा। अनुमोदन जारी होने की तिथि से एक वर्ष के भीतर वृक्षारोपण किया जाएगा। यथासंभव, स्थानीय देशी प्रजाति मिश्रित रूप से रोपित किये जायेंगे एवं किसी भी प्रजाति का monoculture नहीं किया जाएगा:-

Sr. No.	Name of the Division	NFL Site	Area in ha.	No. of Plants the NFL can accommodate @1000 plants/ha.	No. of existing trees(>10 cm Dia for natural growing trees /any other plantation)	No. of seedlings to be planted on vacant space	No. of balance seedlings	Name of RF/PF, where balance seedlings are proposed to be planted
1	Hissar	Sorki(2.84), Rajpura (6.75), Barwala (5.70), Sadalpur (1.85)	17.14	17140	541	9450	7149	Hisar Sadalpur R/way line Km. 13-22 L/side.
2	Kaithal	Kurar(2.76), Mandawal (2.01), Badsikri (5.75)	10.52	10520	325	8832	1363	Dhamtan Distributory RD 35-60 L&R side
3	Kurukshetra	Murtzapur	2.89	2890	309	1100	1481	RF Balahi

बेज नं. 24-25, सेक्टर-31 ए, चंडीगढ़-160030 / Bays No. 24-25, Sector-31 A, Chandigarh-160030

दूरभाष/Tel No : 0172-2638135 Email : ronz.chd-mef@nic.in

4	Jind	Ramkali Brick Kiln(3.67) & Ramkali Kothi(3.37)	7.04	7040	2718	100	4222	Jind No. 6-A Minor L&R
	Total		37.59	37590	3893	19482	14215	37,590

- iv. राज्य सरकार प्रयोक्ता एजेंसी को वन भूमि को गैर वानिकी कार्यों के लिए हस्तान्तरण से पूर्व स्वीकृत प्रतिपूर्ति पौधारोपण (CA) क्षेत्र की KML फाइल को भारतीय वन सर्वेक्षण (FSI) के E-Green Watch पोर्टल पर अपलोड करना सुनिश्चित करेगी।
- v. DFO यह सुनिश्चित करेंगे कि सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन के बिना अनुमोदित CA site को नहीं बदला जाएगा।
- vi. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, राज्य कैम्पा प्राधिकरण यह सुनिश्चित करेंगे कि राज्य कैम्पा के तहत निधियां अनुमोदित सीए योजना के अनुसार DFO को जारी की जाएंगी।
- vii. वन भूमि का प्रयोग प्रस्ताव में दर्शाये गये उद्देश्य के अलावा किसी अन्य उद्देश्य के लिये नहीं किया जायेगा।
- viii. The user agency shall provide step ladder of one metre width at regular interval, say 1 (one) km on either side of lining of canal alternatively, to allow escape of wild animal fallen accidentally in the canal.
- ix. माननीय उच्चतम न्यायालय के निर्देशानुसार, जब कभी भी NPV की राशि बढ़ाई जायेगी तो उस बढ़ी हुई NPV की राशि को जमा करने के लिए प्रयोक्ता एजेंसी बाध्य होगी और राज्य सरकार बढ़ी हुई राशि जमा कराना सुनिश्चित करेंगे।
- x. स्थानान्तरण के लिए प्रस्तावित वन भूमि को केंद्रीय सरकार की पूर्व अनुमति के बिना किसी भी परिस्थिति में किसी अन्य एजेंसी, विभाग या व्यक्ति विशेष को हस्तांतरित नहीं किया जायेगा।
- xi. केंद्रीय सरकार की अनुमति के बिना प्रस्ताव की ले आउट प्लान को बदला नहीं जायेगा।
- xii. वन भूमि पर किसी भी प्रकार का कोई श्रमिक शिविर नहीं लगाया जायेगा।
- xiii. राज्य सरकार द्वारा संबंधित उपायुक्त से एफआरए प्रमाण पत्र सुनिश्चित किया जायेगा।
- xiv. प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा वांछित भूमि संरक्षण पैमाने उपयोग किये जायेंगे, जिसके लिए प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा वर्तमान दरों पर धन राशि उपलब्ध करायी जायेगी।
- xv. परियोजना कार्य के निष्पादन के लिए निर्माण सामग्री के परिवहन के लिए वन क्षेत्र के अंदर कोई अतिरिक्त या नया पथ नहीं बनाया जाएगा।
- xvi. प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा श्रमिकों तथा कार्यस्थल पर कार्यरत स्टाफ को अधिमानतः वैकल्पिक इंधन उपलब्ध करायेगी, ताकि साथ लगते वन क्षेत्र को किसी प्रकार के नुकसान तथा दबाव से बचाया जा सके।
- xvii. प्रयोक्ता एजेंसी राज्य के मुख्य वन्य जीव संरक्षक द्वारा तैयार की गयी योजना के अनुसार उस क्षेत्र के वनस्पति और प्राणी समूह के संरक्षण तथा परिरक्षण में राज्य सरकार की सहायता करेगी।
- xviii. स्थानांतरित वन भूमि की सीमायें आगे तथा पीछे लिखे गये क्रम संख्या वाले 4 फीट ऊँचे सीमेंट के खम्बों द्वारा चिह्नित की जाएगी।
- xix. संरक्षित क्षेत्रों/वन क्षेत्रों में नियमित अंतराल पर सड़क के किनारे स्पीड रेगुलेटिंग साइनेज लगाए जाएंगे।
- xx. प्रयोक्ता एजेंसी सीडब्ल्यूएलडब्ल्यू/एनबीडब्ल्यूएल/एफएसी/आरईसी की सिफारिशों के अनुसार संरक्षित क्षेत्र/वन क्षेत्र में उपयुक्त अंडर/ओवरपास उपलब्ध कराएगी।
- xxi. यदि आवश्यक हो तो प्रयोक्ता एजेंसी पर्यावरण (सुरक्षा) अधिनियम 1986, के अनुसार पर्यावरण अनुमति प्राप्त करेगी।
- xxii. कूड़ा कर्कट निपटान जारी योजना के अनुसार किया जायेगा।

- xxiii. इस प्रस्ताव को 99 वर्षों के लिए अनुमति प्रदान की जायेगी, इसके उपरांत पुनः यह अनुमति भारत सरकार से प्राप्त करनी होगी। इस अनुमोदन के तहत diversion की अवधि प्रयोक्ता एजेंसी के पक्ष में दी जाने वाली lease की अवधि या परियोजना की अवधि, जो भी कम हो, के सह-समाप्ति होगी।
- xxiv. अन्य कोई भी शर्त इस क्षेत्रीय कार्यालय द्वारा वन तथा वन्य जीवों के संरक्षण, सुरक्षा तथा विकास हेतु समय – समय पर लगाई जा सकती है।
- xxv. यदि कोई अन्य सम्बंधित अधिनियम/अनुच्छेद/नियम/न्यायालय आदेश/अनुदेश आदि इस प्रस्ताव पर लागू होते हैं तो उनके अधीन जरूरी अनुमति लेना राज्य सरकार की जिम्मेवारी होगी।
- xxvi. इनमें से किसी भी शर्त का उल्लंघन वन (संरक्षण एवं संवर्धन) अधिनियम, 1980 का उल्लंघन होगा तथा पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के Consolidated Guidelines & Clarifications on Van (Sanrakshan Evam Samvardhan) Adhiniyam, 1980 and Van (Sanrakshan Evam Samvardhan) Rules, 2023, MoEF&CC में उल्लेखित दिशानिर्देश 1.16 के अनुसार कार्यवाई की जायेगी।
- xxvii. यदि कोई अन्य संबंधित अधिनियम/अनुच्छेद/नियम/न्यायालय आदेश/अनुदेश आदि इस प्रस्ताव पर लागू होते हैं तो उनके अधीन जरूरी अनुमति लेना प्रयोक्ता एजेंसी व राज्य सरकार की जिम्मेवारी होगी।
- xxviii. यह स्वीकृति माननीय उच्चतम न्यायालय के मुकदमा सं-CWP(C) NO. 1164/2023, के आदेश दिनांक :3.2.2025 एवं 04.03.2025 के संबंध में, उक्त मुकदमे में अंतिम परिणाम के अधीन है।
2. मंत्रालय इस स्वीकृति को स्थगित/रद्द कर सकता है यदि उपरोक्त शर्तों में से किसी भी शर्त का कार्यान्वयन सन्तोषप्रद नहीं है। राज्य सरकार वन विभाग के माध्यम से इन शर्तों का पालन सुनिश्चित करेगी।
यह पत्र सक्षम अधिकारी के अनुमोदन उपरांत जारी की जा रही है।

भवदीय

-sd-

(राजा राम सिंह)

उप-वन महानिरीक्षक(केन्द्रीय)

RO, MoEF&CC, Chandigarh

प्रतिलिपि:-

1. वन महानिरीक्षक (ROHQ), पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, इंदिरा पर्यावरण भवन, जोर बाग, अलीगंज, नई दिल्ली।
2. The Principal Chief Conservator of Forests, Government of Haryana, Forest Department Haryana, Van Bhawan, Sector-6, Panchkula, Haryana. (pccf-hry@nic.in)
3. The Nodal Officer (FCA), Government of Haryana, Forest Department Haryana, Van Bhawan, Sector-6, Panchkula, Haryana. (cffcpanchkula@gmail.com)
4. The CEO, CAMPA Haryana, Government of Haryana, Forest Department Haryana, Van Bhawan, Sector-6, Panchkula, Haryana. (haryanacampa@gmail.com)
5. The Divisional Forest Officer, Forest Division and Yamunanagar, Haryana (dfo.ynrhry@nic.in).
6. The Sub Divisional Officer, Water Services Sub Division, Irrigation and Water Resources Deptt., Dadupur, Haryana. (xendadupur@yahoo.com)

बेज नं. 24-25, सेक्टर-31 ए, चंडीगढ़-160030 / Bays No. 24-25, Sector-31 A, Chandigarh

दूरभाष/Tel No : 0172-2638135 Email : ronz.chd-mef@nic.in